भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 63

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

विद्यालयों के आसपास तंबाकू की दुकानें

63. श्रीमती रंजनबेन भट्टः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्कूलों के पास तंबाकू की दुकानें होने के कारण बच्चे तंबाकू के आदी हो रहे हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): केंद्र सरकार ने तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए बच्चों और युवाओं को तंबाकू के उपयोग और इसकी लत से बचाने पर जोर देते हुए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (सीओटीपीए 2003) अधिनियमित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2011 के साथ पठित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम,2003 (सीओटीपीए, 2003) की धारा 6 (क) के अनुसार, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को और उनके द्वारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है और सीओटीपीए, 2003 की धारा 6 (ख) के अनुसार, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के सौ गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सीओपीटीए, 2003 की धारा -6 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 'तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थानों (टीओएफईआई)' के लिए संशोधित दिशानिर्देश बनाए गए हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों में इन दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 17.09.2019 के पत्र द्वारा ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को परिचालित किए गए थे और दिनांक 18.12.2020, 08.01.2021 और 07.07.2022 द्वारा दोहराए गए थे। इन दिशानिर्देशों में विभिन्न हितधारकों यथा: केंद्र सरकार: राज्य सरकारों: शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों की शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है और इस अधिनियम को लागू करने का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है।

इसके अलावा, आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (एसएचपी) के तहत, तंबाकू, नशीली दवाओं/पदार्थों के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूली छात्रों के साथ विशेष कक्षाएं और अनुभवात्मक अधिगम गतिविधियाँ जैसे रोल प्ले, लोक नृत्य, पोस्टर बनाना, रचनात्मक लेखन, वाद-विवाद, चर्चा और कौशल निर्माण गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्ध स्कूलों में जीवन-कौशल शिक्षा को पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया है। जीवन-कौशल छात्रों को तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने में सक्षम बनाता है। सीबीएसई स्कूल एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का पालन करते हैं, जिसमें VIII, XI और XII कक्षा के पाठ्यक्रम में तंबाकू के दुष्प्रभावों सहित नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित सामग्री है। सीबीएसई सभी छात्रों को तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए अपने संबद्ध स्कूलों को समय-समय पर परिपत्र भी जारी करता रहा है।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा 'विद्यालय सुरक्षा और संरक्षा पर दिशानिर्देश' बनाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल प्रबंधन, विभिन्न हितधारकों और विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने के प्रावधान शामिल हैं। ये दिशानिर्देश सलाहकारी प्रकृति के हैं और इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूल परिसर के 100 गज के दायरे में तंबाकू या किसी अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री के मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्कूल / स्कूल प्रबंधन की भूमिका और उत्तरदायित्व शामिल हैं।

*****